ई-ट्यूटोरियल

1. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है
2. कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए संक्षिप्त चरण जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है
3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

1. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है

- कटौतीकर्ता जिसका अधिकृत व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है ,ट्रेसेज़ वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकता है।
- ट्रेसेज़ वेबसाइट पर पंजीकरण के समय कटौतीकर्ता जिसका अधिकृत व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है की एक अलग श्रेणी उपलब्ध है।
- यदि अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है तो ट्रेसेज़ वेबसाइट पर पंजीकरण करने के लिए क्षेत्राधिकार आकलन अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।
- अधिकृत व्यक्ति की जन्म तिथि, अधिकृत व्यक्ति का नाम, पिता का अधिकृत व्यक्ति का नाम और अधिकृत व्यक्ति का पदनाम अनिवार्य है और कटौतीकर्ता द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए जिसका अधिकृत व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है।
- कटौतीकर्ता अधिकृत व्यक्ति पैन के कॉलम में **PANNOTAVBL** या **PANAPPLIED** लिख सकता है जिसका अधिकृत व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है।
- जहाँ प्राधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है, वहाँ कटौतीकर्ता की कार्यप्रणाली वही रहेगी, डीएससी संबंधी कार्यप्रणाली को छोड़कर, जब तक प्राधिकृत व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर और पैन प्रोफाइल में अपडेट नहीं हो जाते।
- कटौतीकर्ता जिसका अधिकृत व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है, के सफल पंजीकरण के बाद प्रोफ़ाइल अनुभाग में अधिकृत व्यक्ति का निम्नलिखित विवरण अपडेट कर सकता है:-
    a) अधिकृत व्यक्ति का नाम
    b) अधिकृत व्यक्ति के पिता का नाम
    c) अधिकृत व्यक्ति की जन्म तिथि
    d) प्राधिकृत व्यक्ति का पदनाम
- **यदि टैन श्रेणी कटौतीकर्ता के अंतर्गत नहीं आती है जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है, तो नीचे उल्लिखित त्रुटि दिखाई देगी**

हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपकी टैन श्रेणी 'कटौतीकर्ता जिसका अधिकृत व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है' के अंतर्गत नहीं आती है। कृपया अपने क्षेत्राधिकार आकलन अधिकारी से संपर्क करें।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

1. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

- एक टैन केवल एक ही बार ट्रेसेज़ पर पंजीकृत किया जा सकता है।
- कटौतीकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि गैर-शून्य (लेन-देन आधारित) विवरण पहले ही दाखिल किया जा चुका है और ट्रेसेज़ पर पंजीकरण के समय संसाधित किया जाना चाहिए। निल स्टेटमेंट वे स्टेटमेंट हैं जहां स्टेटमेंट में **"0"** राशि के साथ बिन/चालान का उल्लेख होता है।
- यह ई-ट्यूटोरियल सभी चरणों पर पंजीकरण करते समय सही केवाईसी विवरण भरने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित वित्तीय वर्ष, तिमाही और फॉर्म प्रकार के अनुरूप केवल नियमित (मूल) विवरण का टोकन नंबर दर्ज करें। कृपया **डेटा को कॉपी/पेस्ट न** करें।
- स्क्रीन पर प्रदर्शित वित्तीय वर्ष, तिमाही और फॉर्म प्रकार से संबंधित नवीनतम विवरण के आधार पर सिन (CIN) / पैन विवरण दर्ज करें।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण और खाते को सक्रिय करने के बाद, कटौतीकर्ता कटौतीकर्ताओं के लिए उपलब्ध सभी कार्यात्मकताओं (डीएससी आधारित को छोड़कर) तक पहुंचने में सक्षम होगा।

➢ **ध्यान दें :** कटौतीकर्ता को पंजीकरण के **48 घंटों** के भीतर **"ईमेल पर भेजे गए सक्रियण लिंक पर क्लिक करके"** खाता सक्रिय करना होगा। खाते के सफल सक्रियण के लिए उसे **एक्टिवेशन कोड 1** (ईमेल के माध्यम से भेजा गया) और **एक्टिवेशन कोड 2** (मोबाइल के माध्यम से भेजा गया) दर्ज करने के लिए ट्रेसेज़ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

2. कटौतीकर्ता पंजीकरण के संक्षिप्त चरण जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है

ट्रेसेज़ की वेबसाइट www.tdscpc.gov.in पर जाएं, ट्रेसेज़ का मुख पृष्ठ दिखाई देगा, आगे बढ़ने के लिए "जारी रखें" पर क्लिक करें।

- **चरण 1 : "नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें"** पर क्लिक करें, **"कटौतीकर्ता जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है"** के रूप में श्रेणी का चयन करें। आगे बढ़ने के लिए संबंधित आवंटित टैब में सत्यापन कोड के बाद टैन संख्या प्रदान करें।

- **चरण 2: केवाईसी सत्यापन:** वित्तीय वर्ष, फॉर्म का प्रकार और तिमाही जिसके लिए केवाईसी आवश्यक है, स्वत: प्रदर्शित हो जाएगा**।** केवल नियमित (मूल) विवरण का टोकन नंबर दर्ज करें, जो प्रदर्शित वित्तीय वर्ष, तिमाही और फॉर्म प्रकार के अनुरूप हो। दाखिल किए गए नवीनतम विवरण के आधार पर स्क्रीन पर प्रदर्शित वित्तीय वर्ष, तिमाही और फॉर्म प्रकार से संबंधित सिन (CIN)/पैन विवरण दर्ज करें। **कृपया डाटा कॉपी / पेस्ट न करें**

- **चरण 3 :**कटौतीकर्ता को आगे बढ़ने के लिए संगठन के विवरण जैसे कटौतीकर्ता की श्रेणी, कटौतीकर्ता का पैन, अधिकृत व्यक्ति का पैन और अधिकृत व्यक्ति की जन्म तिथि आदि भरना आवश्यक है।
  - ✓ चरण 3 पर, आपको टैन मास्टर के अनुसार या अंतिम विवरण दाखिल के अनुसार संचार पता विवरण चुनने का विकल्प मिलेगा।
  - ✓ चरण 3 पर आपको मोबाइल नंबर/वैकल्पिक मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी/वैकल्पिक ईमेल आईडी भरने का विकल्प मिलेगा।

- **चरण 4 :** कटौतीकर्ता को आगे बढ़ने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना आवश्यक है।

- **चरण 5 :** पुष्टिकरण स्क्रीन प्रदर्शित होगी. यदि आवश्यक हो तो कटौतीकर्ता विवरण में बदलाव कर सकता है या फिर सफल पंजीकरण के लिए इसकी पुष्टि कर सकता है।
- उपरोक्त सभी चरणों के पूरा होने के बाद, कटौतीकर्ता को पंजीकृत ईमेल आईडी पर सक्रियण लिंक और मोबाइल नंबर सक्रियण कोड प्राप्त होगा, जिसका उपयोग खाते को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है। कटौतीकर्ता को पंजीकरण के 48 घंटों के भीतर खाता सक्रिय करना होगा।
- खाते के सफलतापूर्वक सक्रिय होने के बाद, उपयोगकर्ता **ट्रेसेज़** पर लॉगिन करने में सक्षम होगा।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है

ट्रेसेज़ की वेबसाइट www.tdscpc.gov.in पर जाएँ, ट्रेसेज़ का मुख्य पृष्ठ दिखाई देगा, आगे बढ़ने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

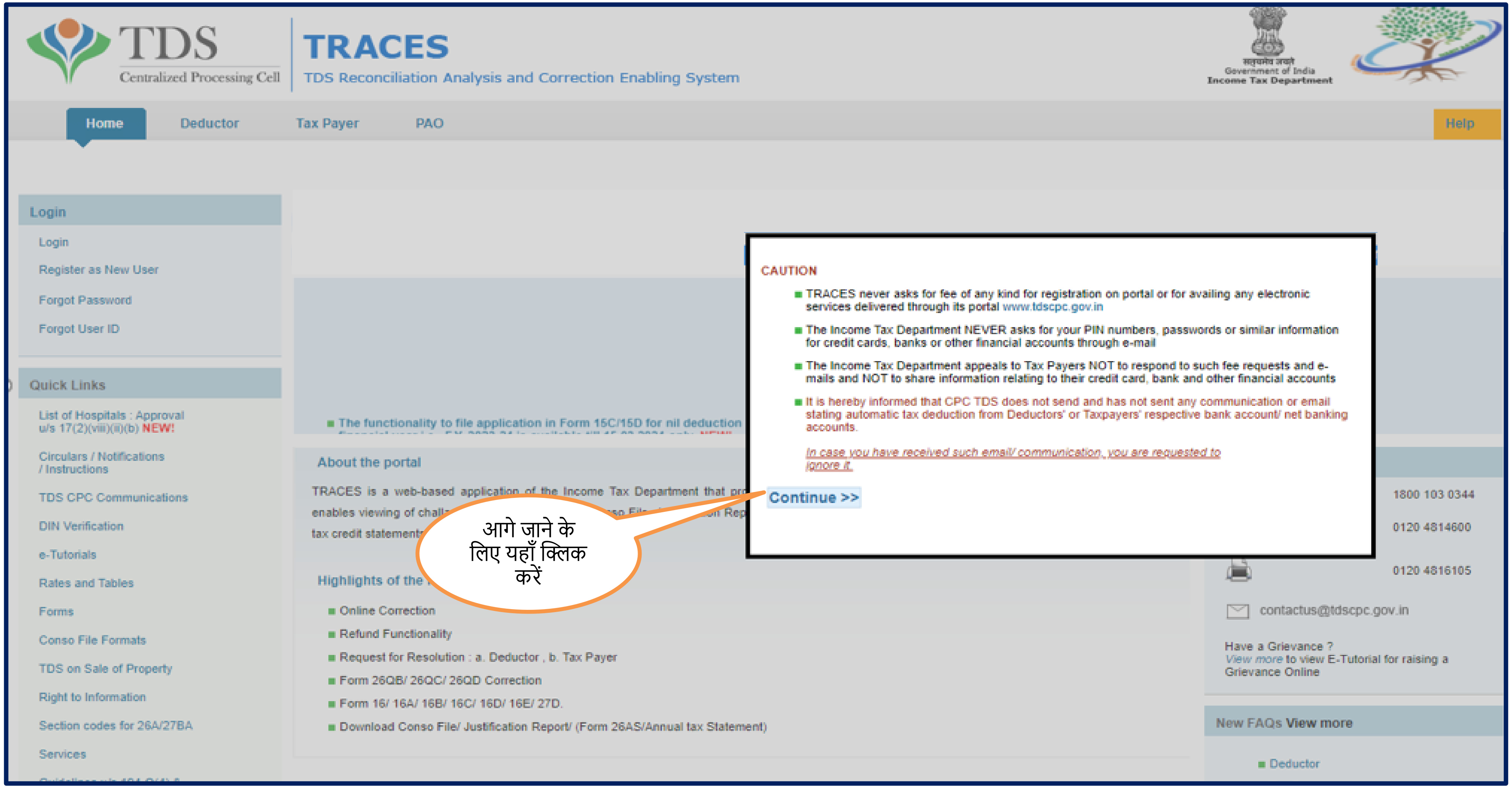

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

चरण 1: "नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें" पर क्लिक करें

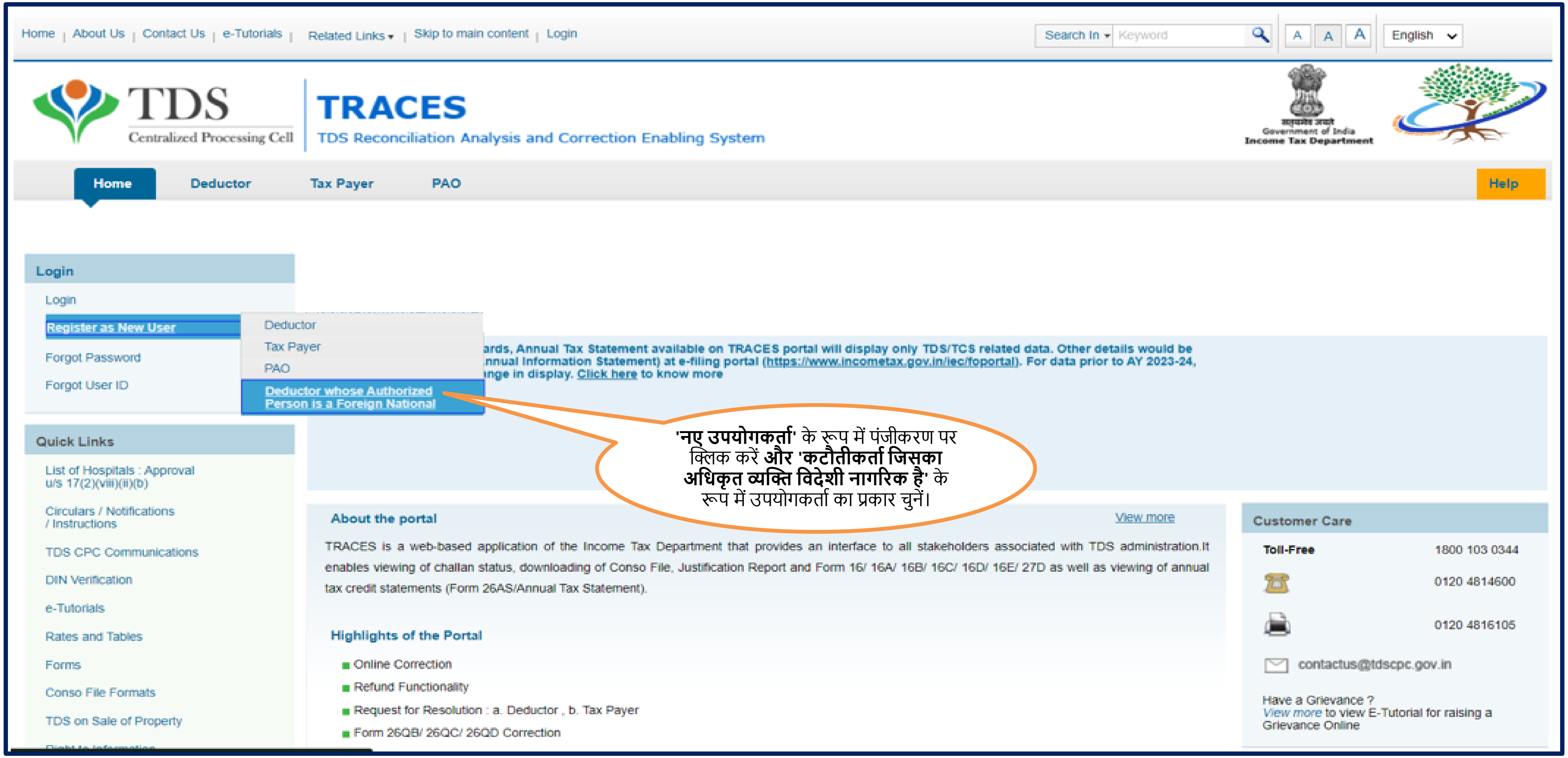

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

चरण 1 (जारी....): आगे बढ़ने के लिए संबंधित आवंटित टैब में टैन नंबर और उसके बाद कैप्चा प्रदान करें

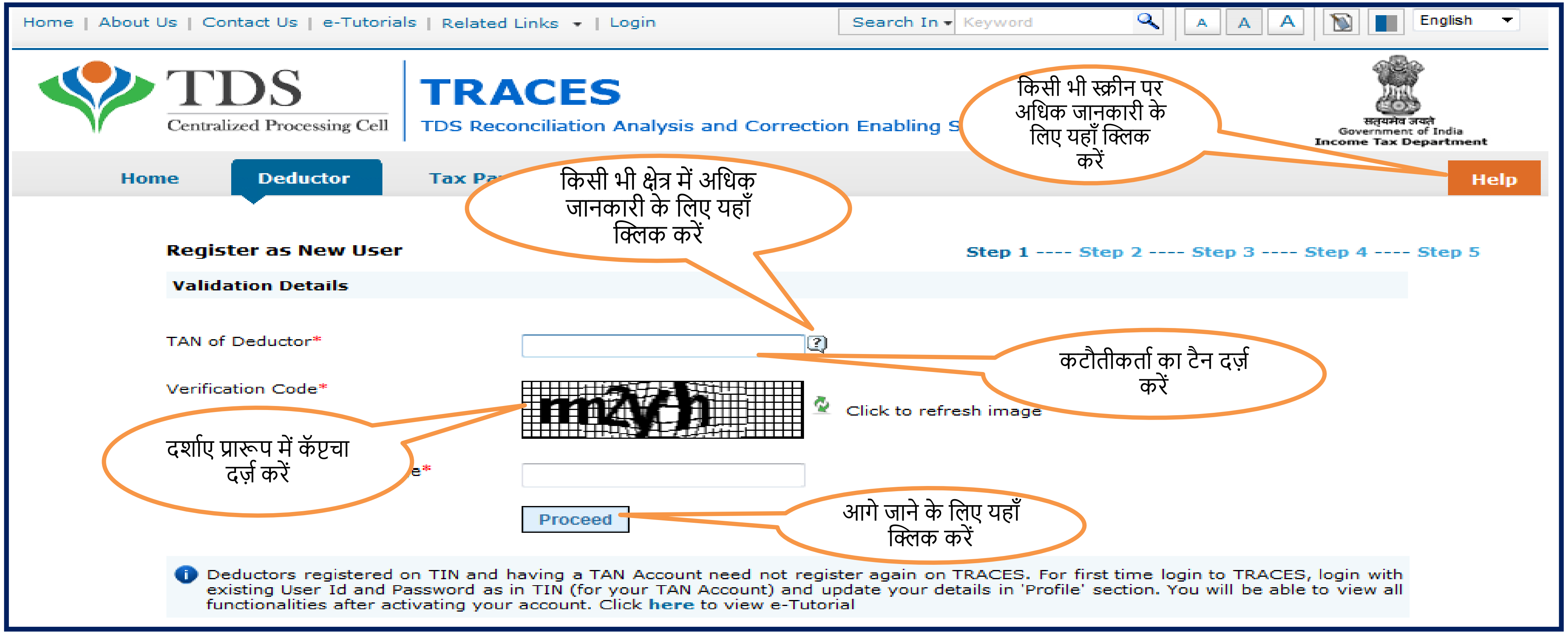

- 'अमान्य विवरण' या 'आपका टैन, टैन मास्टर में उपलब्ध नहीं है' त्रुटि प्राप्त होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:-
  - ✓-आपने पिछली आठ तिमाहियों में कोई विवरण दाखिल नहीं किया है
  - ✓-आपने केवल शून्य(निल) विवरण दाखिल किया है
  - ✓- दाखिल किया गया विवरण ट्रेसेज़ द्वारा संसाधित नहीं हुआ है
  - ✓-अवैध टैन

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

चरण 2 : केवाईसी सत्यापन

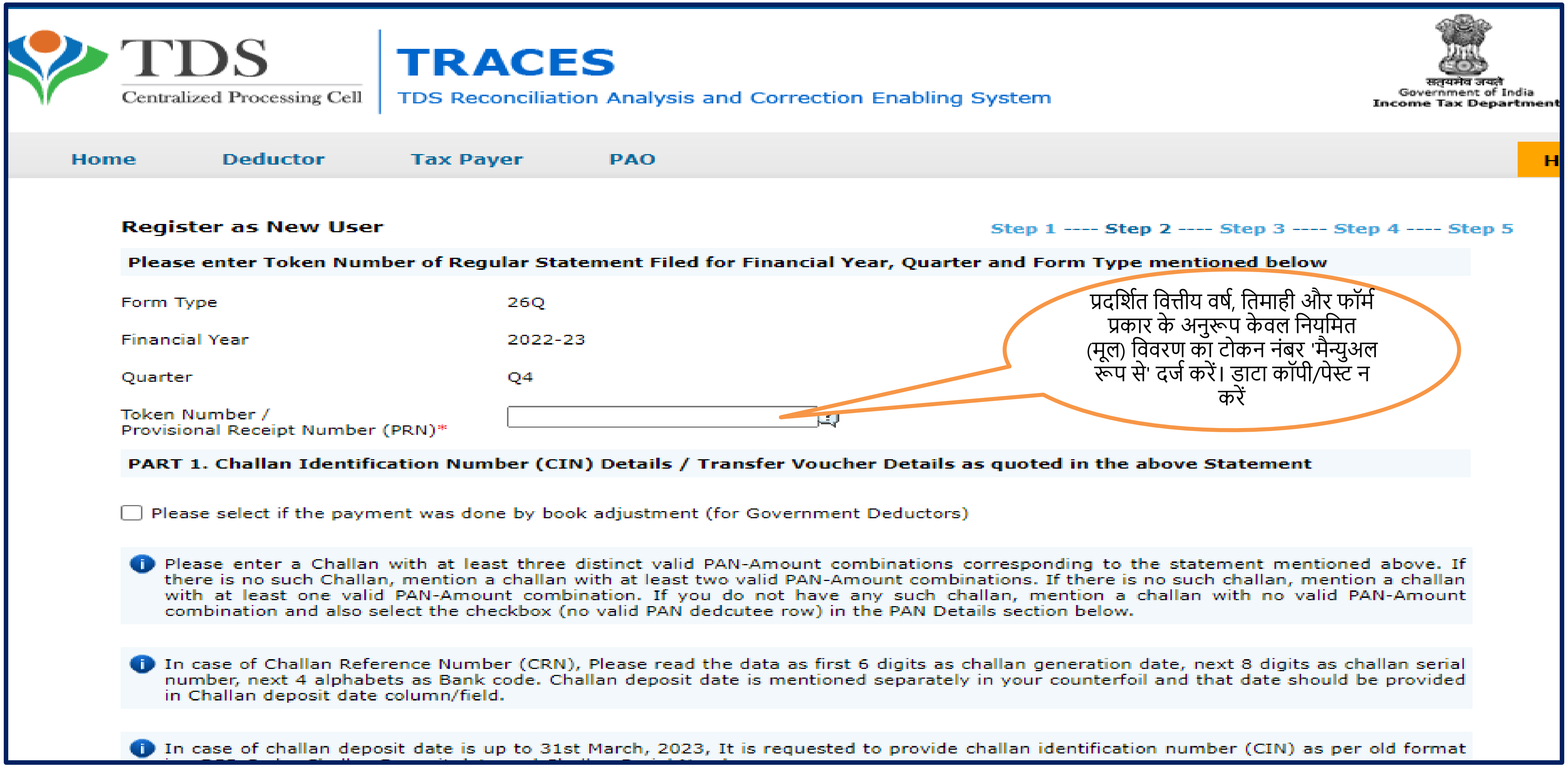

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

चरण 2 (जारी....) : केवाईसी सत्यापन

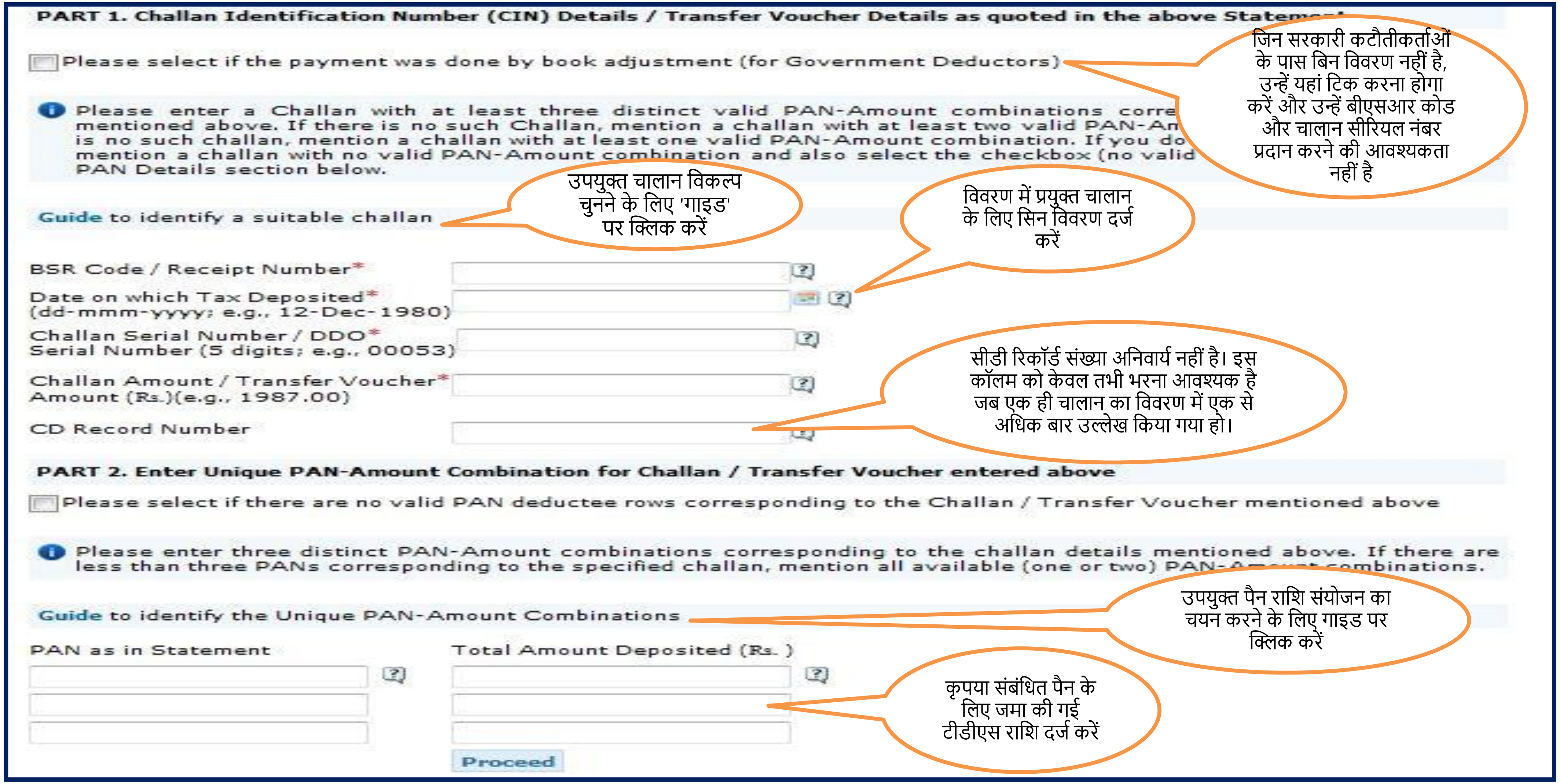
PART 1. Challan Identification Number (CIN) Details / Transfer Voucher Details as quoted in the above Statement

Please select if the payment was done by book adjustment (for Government Deductors)

Please enter a Challan with at least three distinct valid PAN-Amount combinations corre... mentioned above. If there is no such Challan, mention a challan with at least two valid PAN-Am... is no such challan, mention a challan with at least one valid PAN-Amount combination. If you do... mention a challan with no valid PAN-Amount combination and also select the checkbox (no valid... PAN Details section below.

Guide to identify a suitable challan

BSR Code / Receipt Number*

Date on which Tax Deposited* (dd-mmm-yyyy; e.g., 12-Dec-1980)

Challan Serial Number / DDO* Serial Number (5 digits; e.g., 00053)

Challan Amount / Transfer Voucher* Amount (Rs.)(e.g., 1987.00)

CD Record Number

PART 2. Enter Unique PAN-Amount Combination for Challan / Transfer Voucher entered above

Please select if there are no valid PAN deductee rows corresponding to the Challan / Transfer Voucher mentioned above

Please enter three distinct PAN-Amount combinations corresponding to the challan details mentioned above. If there are less than three PANs corresponding to the specified challan, mention all available (one or two) PAN-Amount combinations.

Guide to identify the Unique PAN-Amount Combinations

PAN as in Statement | Total Amount Deposited (Rs.)

Proceed

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

केवाईसी सत्यापन करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

- केवाईसी सूचना विवरण सत्यापन के बाद प्रमाणीकरण कोड उत्पन्न होता है, जो समान फॉर्म प्रकार, वित्तीय वर्ष और तिमाही के लिए उसी कैलेंडर दिन के लिए वैध रहता है।
- टोकन नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित वित्तीय वर्ष, तिमाही और फॉर्म प्रकार के आधार पर नियमित विवरण का होना चाहिए।
- वित्तीय वर्ष, तिमाही और फॉर्म प्रकार के अनुरूप विवरण में उल्लिखित चालान/पुस्तकीय समायोजन का सीआईएन/बीआईएन विवरण दर्ज किया जाना चाहिए।
- शासकीय कटौतीकर्ता संबंधित विवरण में उल्लिखित केवल जमा की तारीख और स्थानांतरण वाउचर राशि दर्ज कर सकते हैं।
- **भाग 1** में उल्लिखित सीआईएन/बीआईएन विवरण के अनुरूप टीडीएस/टीसीएस विवरण में उल्लेखित केवल वैध पैन को केवाईसी के **भाग 2** में दर्ज किया जाना चाहिए। स्क्रीन पर उपलब्ध गाइड को वैध संयोजनों के लिए देखा जा सकता है।
- अधिकतम **3 अलग-अलग वैध पैन** और संबंधित टीडीएस जमा राशि दर्ज की जानी चाहिए।
- यदि चालान में तीन से कम ऐसे संयोजन हैं, तो उपयोगकर्ता को सभी (या तो दो या एक) दर्ज करने होंगे।
- सीडी रिकॉर्ड नं. यदि विवरण में एक ही चालान का एक से अधिक बार उल्लेख किया गया है तो यह दर्ज़ करना अनिवार्य है।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

केवाईसी सत्यापन करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी (जारी...)

विशिष्ट पैन और राशि संयोजन के उदाहरण:-

1 अवस्था : -यदि विवरण में एक ही पैन यानी AAAAA0000N के साथ 3 कटौती पंक्तियाँ हैं और कटौतीयों से संबंधित राशि है: 1000.00, 1000.00 और 2000.00, तो कटौतीकर्ता को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:

a) AAAAA0000N 1000.00
b) AAAAA0000N 2000.00

2 अवस्था : - यदि विवरण में एक ही पैन यानी AAAAA0000N के साथ 4 कटौती पंक्तियाँ हैं और कटौतीयों से संबंधित राशि है: 1000.00, 1000.00, 1500.00 और 2000.00, तो कटौतीकर्ता को विवरण निम्नानुसार भरना होगा:-

a) AAAAA0000N 1000.00
b) AAAAA0000N 1500.00
c) AAAAA0000N 2000.00

ध्यान दें : आगे के मार्गदर्शन के लिए कृपया ट्रेसेज़ पोर्टल पर उपलब्ध गाइड 1 और गाइड 2 देखें.

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

चरण 3 : कटौतीकर्ता को आगे बढ़ने के लिए संगठन के विवरण जैसे कटौतीकर्ता की श्रेणी, कटौतीकर्ता का पैन, अधिकृत व्यक्ति का पैन और अधिकृत व्यक्ति की जन्म तिथि आदि भरना आवश्यक है।

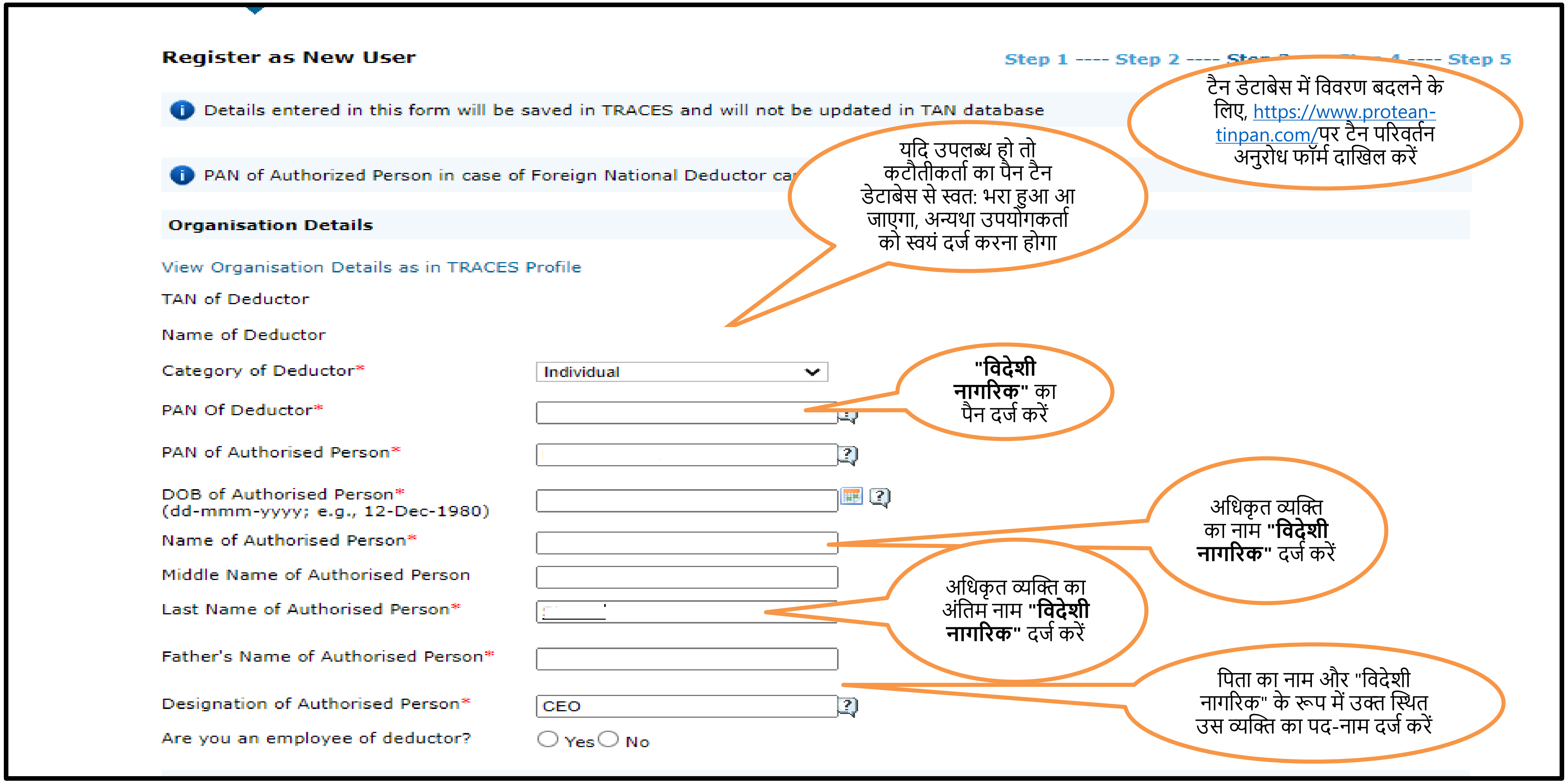

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

चरण 3 (जारी....): टैन मास्टर के अनुसार या दाखिल किए गए अंतिम विवरण के अनुसार पत्र-संचार विवरण चुनें

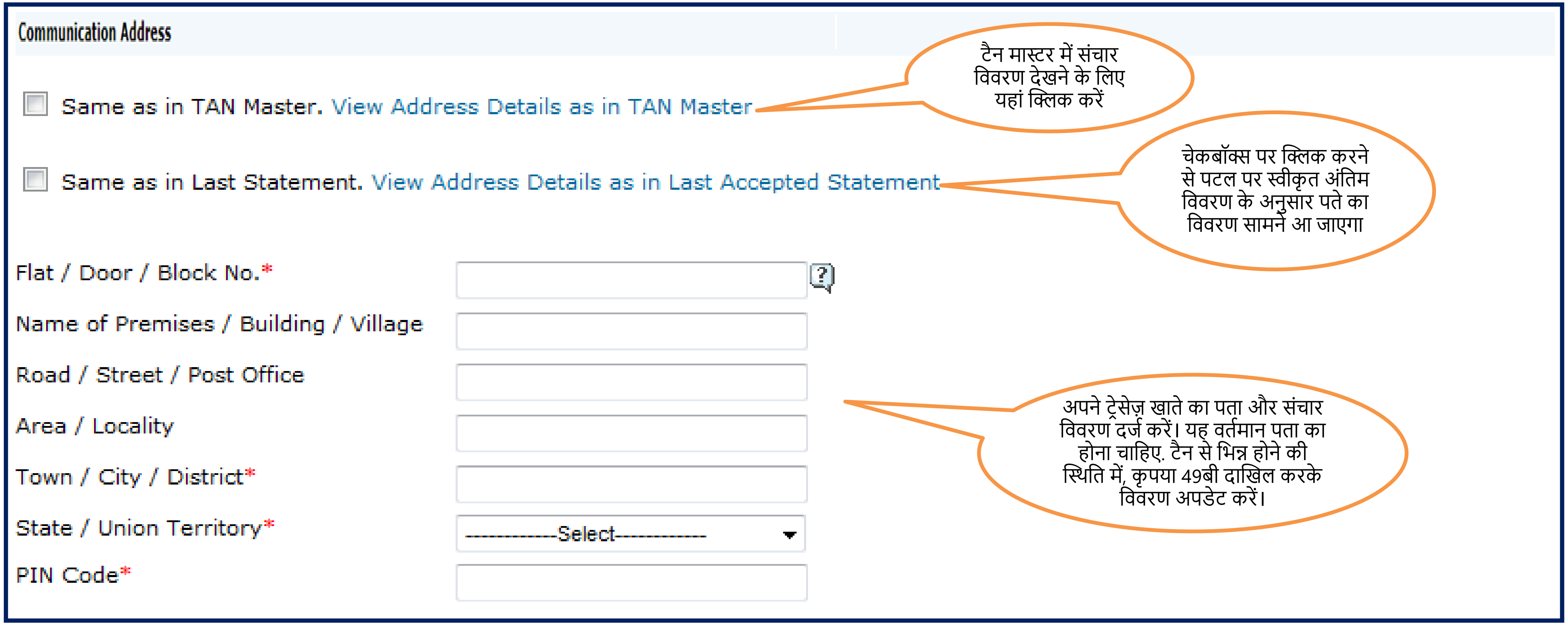

- यहां दर्ज किए गए विवरण को केवल ट्रेसेज़ में सुरक्षित किया जाएगा और टैन डेटाबेस में अपडेट नहीं किया जाएगा।
- टैन डेटाबेस में विवरण बदलने के लिए, https://www.protean-tinpan.com/ पर टैन परिवर्तन अनुरोध फॉर्म प्रस्तुत करें।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

चरण 3 (जारी....): टैन मास्टर के अनुसार या दाखिल किए गए अंतिम विवरण के अनुसार संचार विवरण चुनें

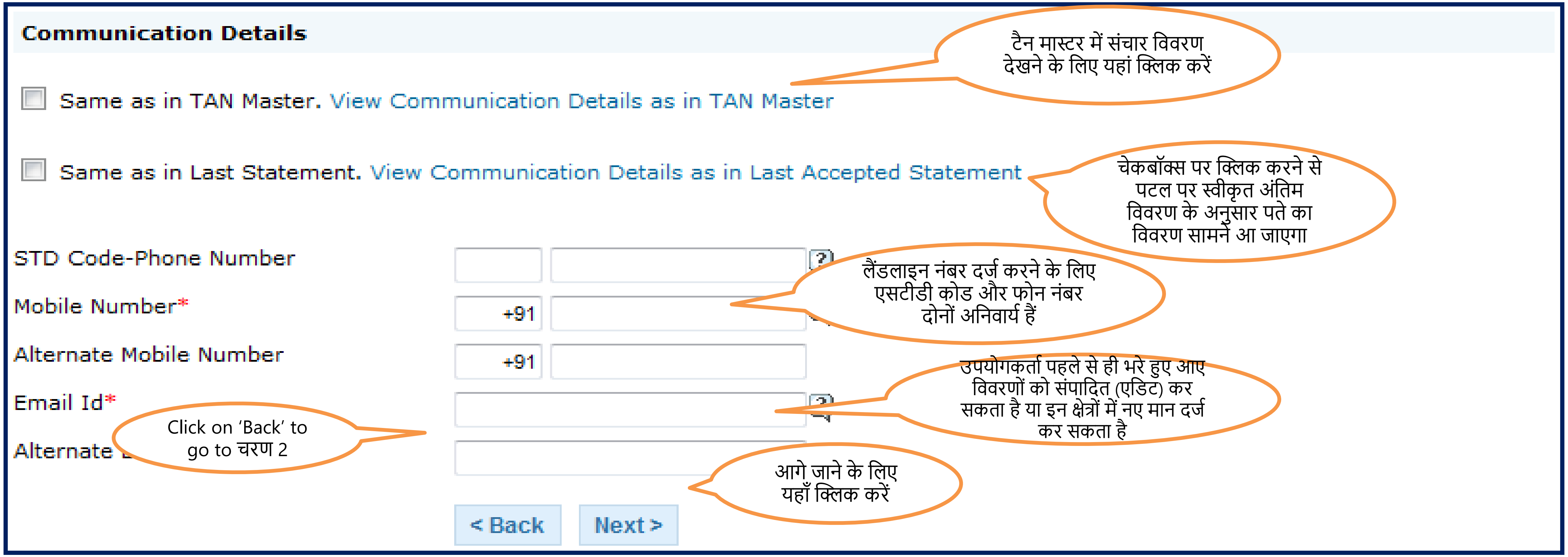

- यहां दर्ज किए गए विवरण को केवल ट्रेसेज़ में सुरक्षित किया जाएगा और टैन डेटाबेस में अपडेट नहीं किया जाएगा।
- टैन डेटाबेस में विवरण बदलने के लिए, https://www.protean-tinpan.com/ पर टैन परिवर्तन अनुरोध फॉर्म प्रस्तुत करें।
- **यदि गलत संचार विवरण और पता विवरण प्रस्तुत किया गया है, तो 48 घंटे तक प्रतीक्षा करें। एक बार खाता निष्क्रिय हो जाए, तो सही विवरण के साथ नए उपयोगकर्ता के रूप में फिर से पंजीकरण करने का प्रयास करें**

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

चरण 4 : यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं फिर 'क्रिएट अकाउंट' बटन पर क्लिक करें

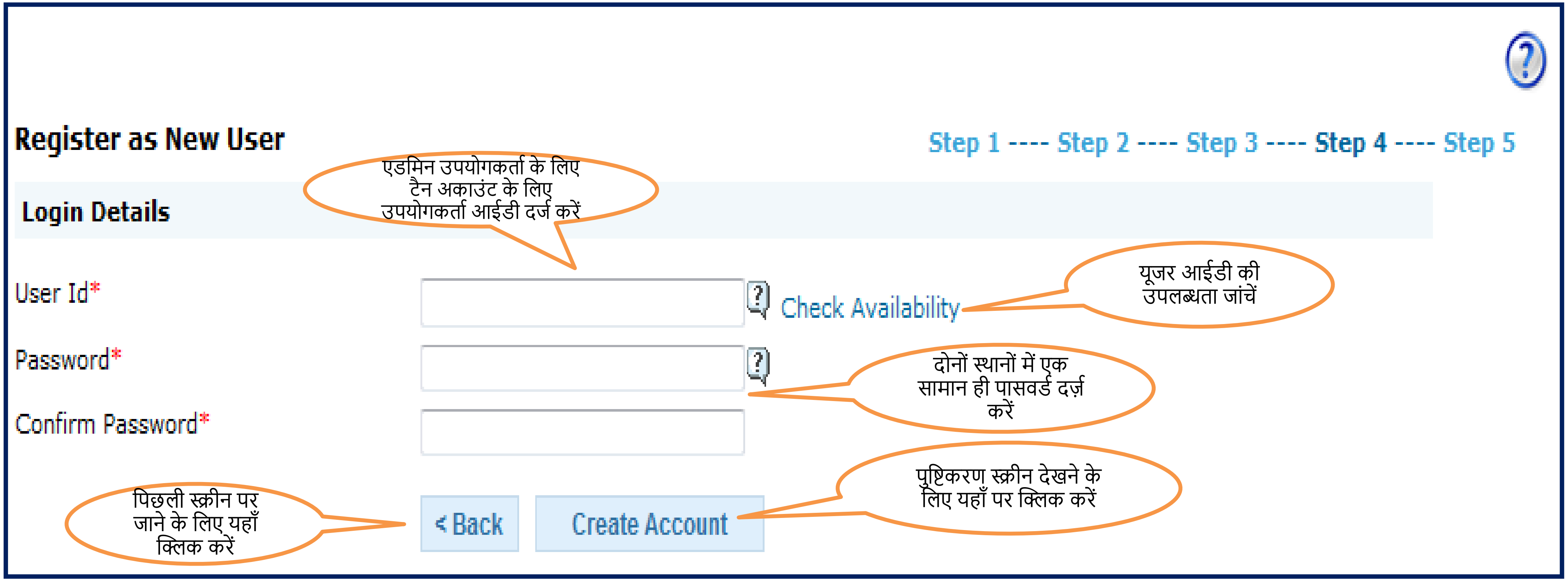

ध्यान दें :

- पासवर्ड में कम से कम ८ शब्दांकिक अक्षर और अंग्रेजी के कम से कम एक बड़े अक्षर के साथ शामिल होना चाहिए।
- पासवर्ड दर्ज करते समय विशेष वर्णों की जैसे- स्पेस, ', &, और, ", अल्पविराम, ; अनुमति है। (विशेष वर्णों जैसे @,#,!,$ आदि का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है)।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

चरण 5: पुष्टिकरण स्क्रीन

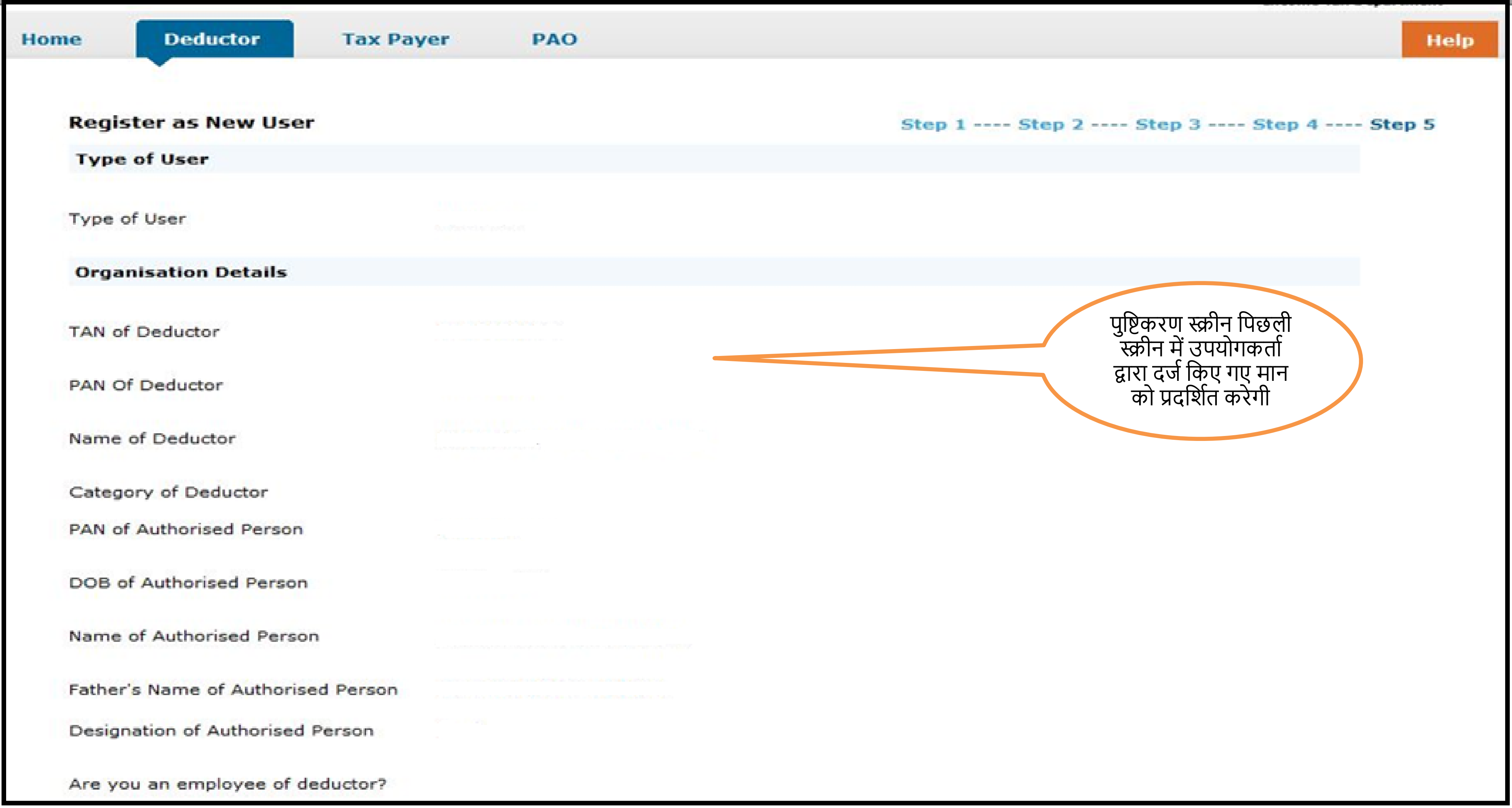
Home | Deductor | Tax Payer | PAO | Help

Register as New User

Step 1 ---- Step 2 ---- Step 3 ---- Step 4 ---- Step 5

Type of User

Type of User

Organisation Details

TAN of Deductor

PAN Of Deductor

Name of Deductor

Category of Deductor

PAN of Authorised Person

DOB of Authorised Person

Name of Authorised Person

Father's Name of Authorised Person

Designation of Authorised Person

Are you an employee of deductor?

पुष्टिकरण स्क्रीन पिछली स्क्रीन में उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए मान को प्रदर्शित करेगी

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

चरण 5 (जारी....): पुष्टिकरण स्क्रीन

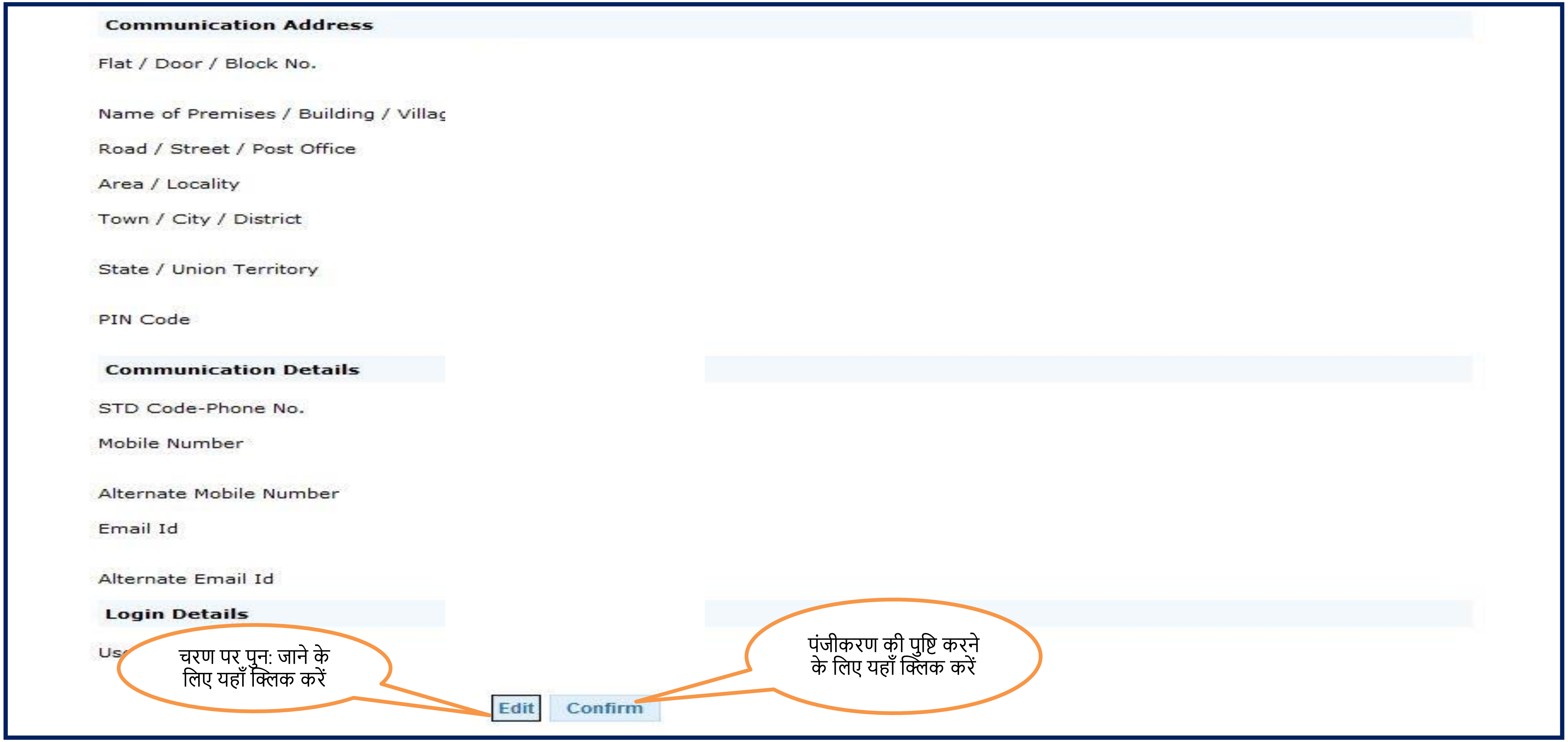

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

चरण 5 (जारी....): 'कन्फर्म' पर क्लिक करने के बाद, पंजीकरण अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज़ हो गया का संदेश स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा

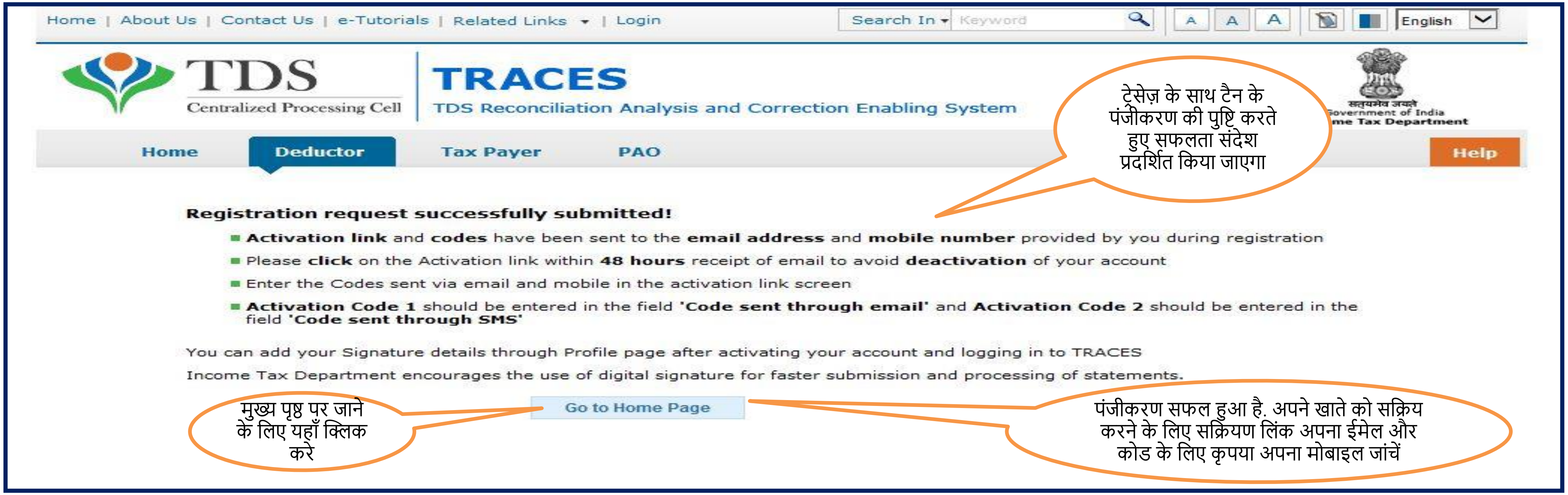

- खाता सक्रियण **पंजीकरण के 48 घंटों** के भीतर पूरा किया जाना चाहिए अन्यथा खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आपको ट्रेसेज़ पर फिर से पंजीकरण करना होगा
- यदि एसएमएस/ईमेल जानबूझकर हटा दिया गया है और खाता सक्रिय करने की **48 घंटे की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है**, तो कृपया कटौतीकर्ता **पंजीकरण फॉर्म के १ चरण** में टैन विवरण दर्ज करें और **"सबमिट"** पर क्लिक करें। सिस्टम सक्रियण लिंक और कोड को पुनः भेजने के लिए एक चेतावनी संदेश प्रदर्शित करेगा। **'ओके'** पर क्लिक करें, एक्टिवेशन लिंक और कोड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर पुन: भेज दिए जाएंगे।
- कृपया सक्रियण लिंक के लिए पंजीकृत ई-मेल आईडी का **अपना "स्पैम बॉक्स"** भी जांचें।

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

खाता सक्रियण

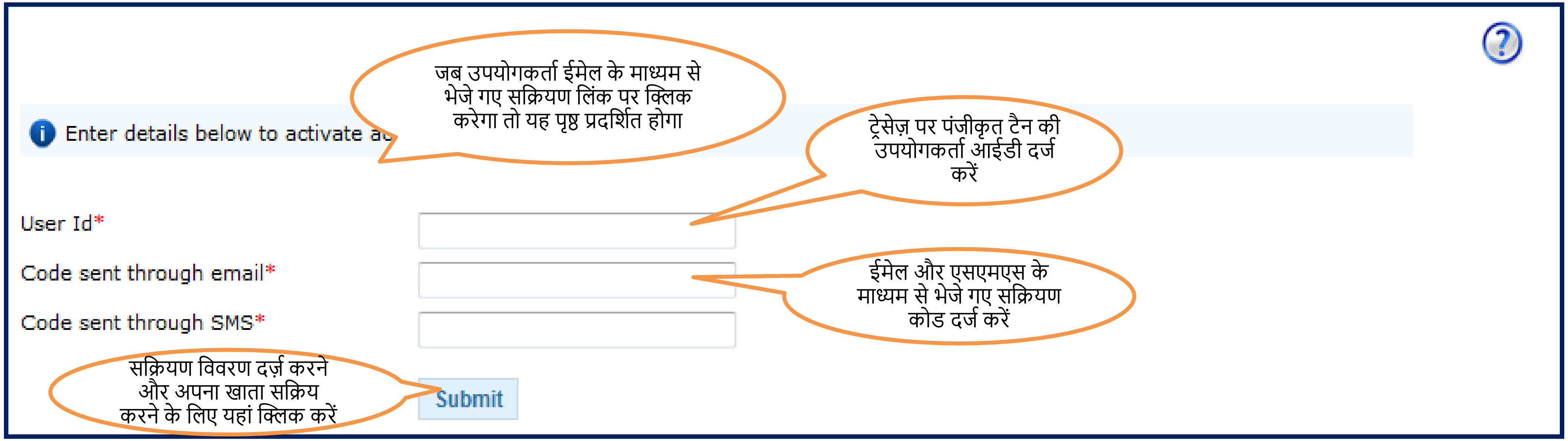

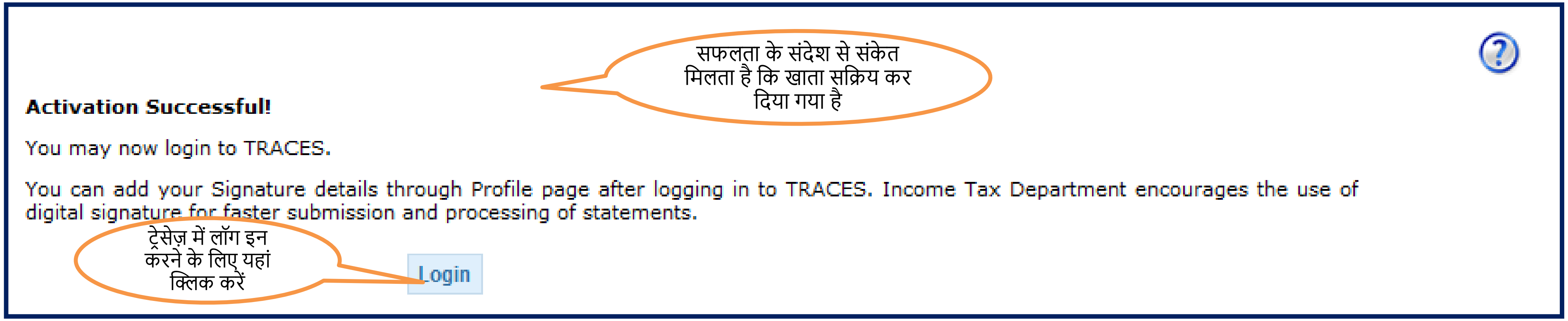

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

ट्रेसेज़ में लॉग इन करें

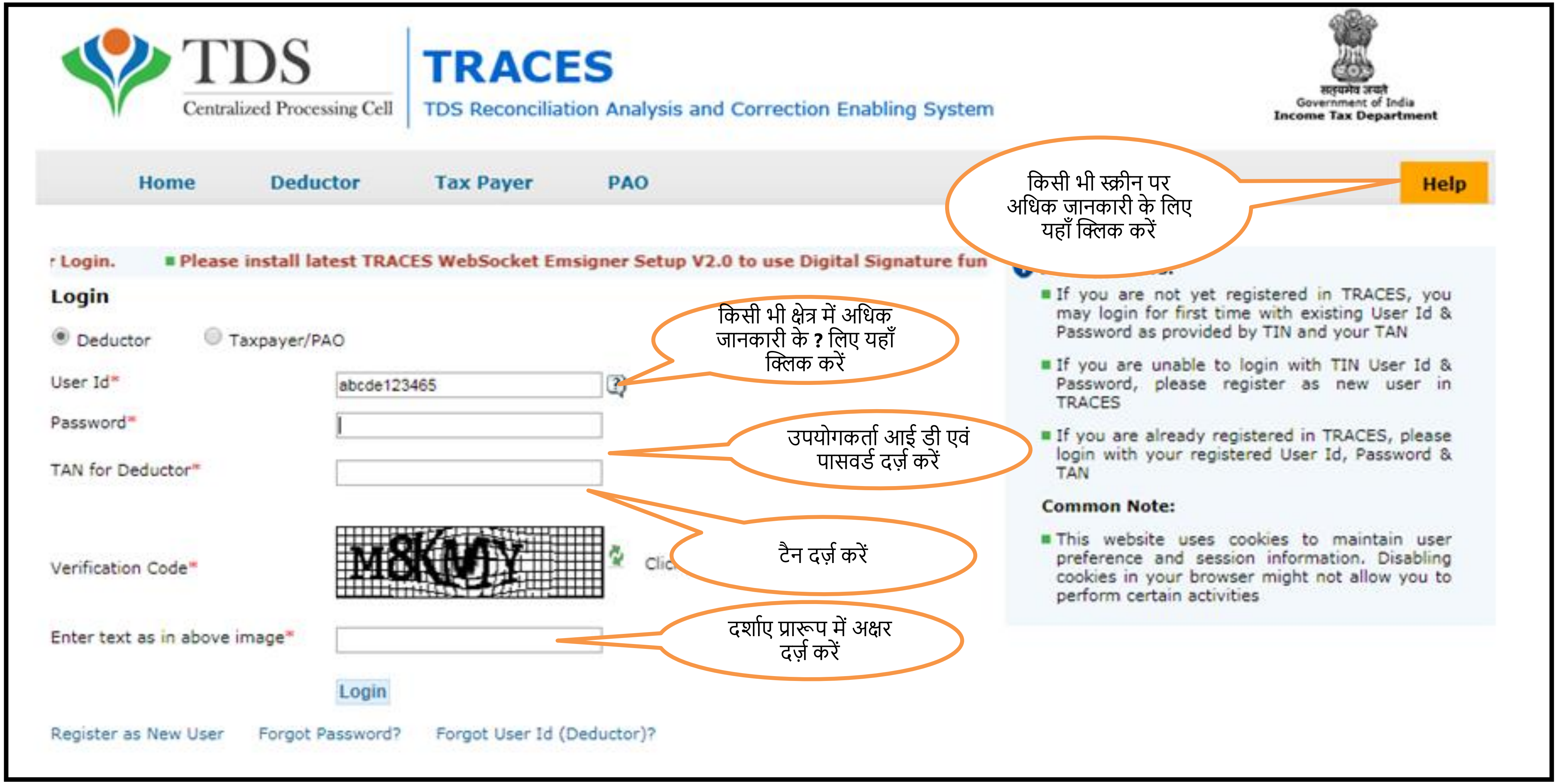

3. ट्रेसेज़ वेबसाइट पर कटौतीकर्ता पंजीकरण के लिए सचित्र गाइड जिसका अधिकृत व्यक्ति विदेशी नागरिक है (जारी...)

कटौतीकर्ता जिसका अधिकृत व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है, नीचे बताए अनुसार पंजीकरण के बाद प्रोफ़ाइल अनुभाग में अधिकृत व्यक्ति के पैन को "विदेशी नागरिक" के रूप में अपडेट कर सकता है:

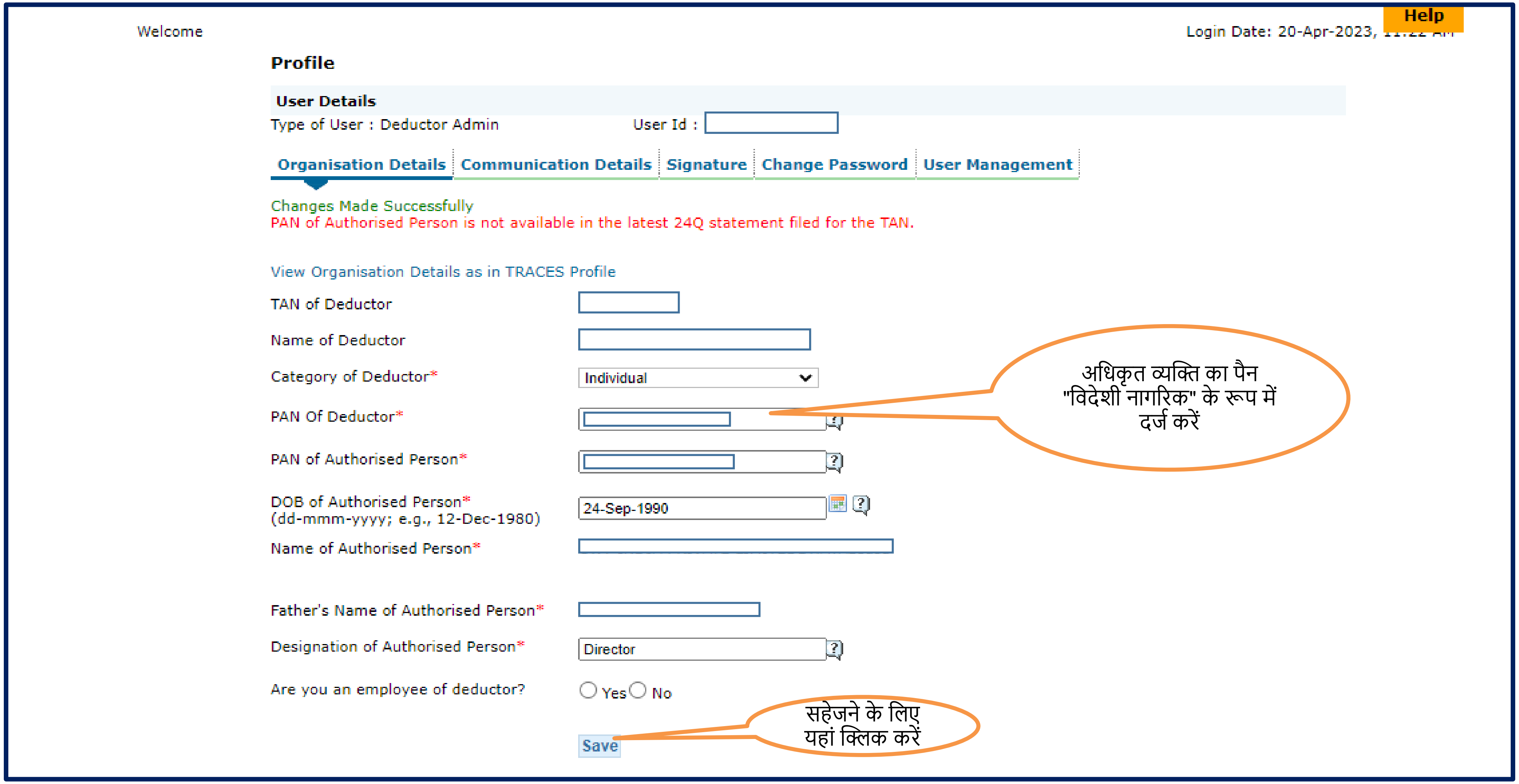

धन्यवाद

कृपया ध्यान दें:

1) **प्रतिक्रिया के लिए** : आप हमें अपनी प्रतिक्रिया contactus@tdscpc.gov.in पर साझा कर सकते हैं

2) **किसी भी पूछताछ के लिए:** आप ट्रेसेज़ वेबसाइट पर अपनी शिकायत ऑनलाइन **"रिक्वेस्ट फॉर रेज़लुशन (समाधान के लिए अनुरोध)"** दर्ज़ कर सकते हैं।

3) **वेबसाइट से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए :** आप नीचे उल्लिखित नंबर पर अपने तथ्य रख सकते हैं

टोल फ्री	: -	**1800 103 0344**
दूरभाष संख्या	:-	**0120 4814600**